



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7,
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) इत्तफिया

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान सकि अहमद बनाम राजपूत राजेश

दावा बाबत नामदुरस्त्र U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 150/2021

निर्णय दिनांक :- 08/12/2021

वादी की ओर से इत्तफिया की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06/12/2021 को श्री **राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के सम्क्ष अतिन निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - **दावा वारी स्वीकृत**

कि प्राप्ता वृषि भूमि रोटी इत्तफिया के जातान 0139 के इतिहास में गत 100 रु. सादुलखान के स्थान पर सकि अहमद रु. 50 सादुलखान रु. 50 के अतिन निपटारे के लिए नामदुरस्त्र के साथ में प्रेषित मेकोई किस्म इत्तफिया के जातान में समस्त निपटारे की गयी है।
जहाँ प्रेषित रु. 50 उम्मानुल्ला राजपूत के जातान में अतिन निपटारे के लिए

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

06/12/21

(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी ले लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़



1854
राहुल
08/12/2021